न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 498 सन 2019

अनवान :–

1. लादुराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्योनारायण पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र धोकलराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रेशमा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी अमरसिह जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. रामादेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी 27 जीबी विजयनगर जिला श्री गंगानगर
4. गुडडी देवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि बलवीर सिह जाति कुम्हार निवासी ढाणी मोहब्बतपुर जिला हिसार
5. कृष्णा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि रामदास जाति कुम्हार निवासी ढाणी मोहब्बतपुर जिला हिसार
6. बालादेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि बलवानसिह जाति कुम्हार निवासी मोहब्बतुपर जिला हिसार
7. लक्ष्मी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी करतारसिह जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 की कुल 1.5180हैक चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 की कुल 3.0360हैक व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा धोकल पुत्र बीझा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा धोकल पुत्र बीझा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा धोकल पुत्र बीझा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है काश्त करने में असमर्थ ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता धोकल पुत्र बीझा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पुत्रों वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 की कुल 1.5180हैक चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 की कुल 3.0360हैक व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा धोकल पुत्र बीझा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा धोकल पुत्र बीझा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा धोकल पुत्र बीझा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है काश्त करने में असमर्थ ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 की कुल 1.5180हैक चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 की कुल 3.0360हैक व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 1. 2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि धुकल पुत्र बीझा के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा धुकल पुत्र बीझा के नाम से दर्ज है वादी के दादा धुकल पुत्र बीझा के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 4 जो वादी की बहने है व प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 की कुल 1.5180हैक चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 की कुल 3.0360हैक व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 के प0न0 348/443(34) के किला न0 11/0.2530 ,प0न0 347/443(35) किला न0 15/0.2280 ,16/0.2280 ,प0न0 0 मु0न0 67/32 के किला न0 0/2 की 0.0505 हैक गै0मु0 रास्ता कुल 0.7595हैक व रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 के प0न0 360/449(66) के किला न0 14 ता 17 ,24 ,25 प्रत्येक 0.2530 , कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 के प0न0 354/447(74) के किला न0 20 मिन दक्षिण की 0.127 ,21/0.253 ,प0न0 354/448(81) किला न0 1/0.2530 कुल 0.633हैक भूमि का वादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होगा इसी प्रकार रोही मोजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 के प0न0 348/443(34) के किला न0 10/0.2530 ,प0न0 347/443(35) के किला न0 5/0.2270 ,6/0.2280 ,प0न0 0 मु0न0 67/32 की 0/2 की 0.0505हैक गै0मु0 रास्ता कुल 0.7585हैक व चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 के प0न0 361/449 (67) के किला न0 18 ता 23 प्रत्येक 0. 2530 , कुल 1.5180हैक्व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 के प0न0 354/447(74) के किला न0 11/0.2530 ,12/0.2530 ,20मिन उत्तर 0.126 है कुल 0.632हेक भूमि वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लादुराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्योनारायण पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र धोकलराम जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 रेशमा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी अमरसिह जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3 रामादेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी 27 जीबी विजयनगर जिला श्री गंगानगर
4 गुडडी देवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि बलवीर सिह जाति कुम्हार निवासी ढाणी मोहब्बतपुर जिला हिसार
5 कृष्णा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि रामदास जाति कुम्हार निवासी ढाणी मोहब्बतपुर जिला हिसार
6 बालादेवी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नि बलवानसिह जाति कुम्हार निवासी मोहब्बतुपर जिला हिसार
7 लक्ष्मी पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी करतारसिह जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 498 सन 2019 निर्णय दिनांक– 12/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 की कुल 1.5180हैक चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 की कुल 3.0360हैक व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 के प0न0 348/443(34) के किला न0 11/0.2530 ,प0न0 347/443(35) किला न0 15/0.2280 ,16/0.2280 ,प0न0 0 मु0न0 67/32 के किला न0 0/2 की 0.0505 हैक गै0मु0 रास्ता कुल 0.7595हैक व रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 के प0न0 360/449(66) के किला न0 14 ता 17 ,24 ,25 प्रत्येक 0.2530 , कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 के प0न0 354/447(74) के किला न0 20 मिन दक्षिण की 0.127 ,21/0.253 ,प0न0 354/448(81) किला न0 1/0.2530 कुल 0.633हैक भूमि का वादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होगा इसी प्रकार रोही मोजा 24 डीपीएन के खाता संख्या 86/85 के प0न0 348/443(34) के किला न0 10/0.2530 ,प0न0 347/443(35) के किला न0 5/0.2270 ,6/0.2280 ,प0न0 0 मु0न0 67/32 की 0/2 की 0.0505हैक गै0मु0 रास्ता कुल 0.7585हैक व चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 98/92 के प0न0 361/449 (67) के किला न0 18 ता 23 प्रत्येक 0.2530 , कुल 1.5180हैक्व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 113/104 के प0न0 354/447(74) के किला न0 11/0.2530 ,12/0.2530 ,20मिन उत्तर 0.126 है कुल 0.632हेक भूमि वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/3/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)